



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, 7 जनवरी, 1997

(17 पौष, 1918 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1/संवि०/अनु० 309/ 96, दिनांक 20 दिसम्बर, 1996, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1996	3-31
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि पर्वियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

Price: Re. 1.00

(ii)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 1996

सं० सा० का० नि० 1/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I सामान्य

1. (i) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1996 कहे जा सकते हैं।

(ii) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के अन्यथा की गई हो ;

(ग) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

बंशिल नाम
तथा प्रारम्भ।

परिभाषाएं।

- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा ।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों में कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिये सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी करना आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्त महानिदेशक द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति
प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अहंताएं तथा अनुभव न रखता हो :

योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई व्यक्ति,—

अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

भर्ती का ढंग।

(क) मुख्य सहायक (सांख्यिकीय) तथा कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिक की दशा में,—

(i) 75 प्रतिशत सांख्यिकीय तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, सांख्यिकीय सहायकों, अन्वेषकों, मशीन परिवालकों या क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकलाओं में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) सांख्यिकीय तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सांख्यिकीय सहायकों, अन्वेषकों, मशीन परिचालकों तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ताओं की दशा में,—

- (i) 75 प्रतिशत वरिष्ठ कम्प्यूटर या संकलन लिपिकों में से पदोन्नत द्वारा ; तथा
- (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) वरिष्ठ कम्प्यूटर तथा संकलन लिपिकों की दशा में,—

- (i) 75 प्रतिशत कम्प्यूटरों, पंच परिचालकों, वैरीफायर अपरेटरों या सांख्यिकीय लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा
- (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) कम्प्यूटरों, सांख्यिकीय लिपिकों, पंच परिचालकों तथा वैरीफायर अपरेटरों की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा—
वर्ग "ग" के ऐसे कर्मचारियों में से जिनके वेतनमान कम्प्यूटर सांख्यिकीय लिपिक/पंच परिचालक/वैरीफायर परिचालक से कम हो या जिनके कार्य और उत्तरदायित्व कम्प्यूटर/सांख्यिकीय लिपिक/पंच परिचालक/वैरीफायर परिचालक से कम हो अथवा वर्ग "घ" के कर्मचारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे ; अथवा
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियों जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा :

परिबीक्षा ।

परन्तु,—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिबीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की गई दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिबीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिबीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिबीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिबीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा में अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करे ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ;

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन लें रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी

और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के निम्ने आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के निम्ने निम्ने निम्ने अनुत्तर प्रति-नियुक्त किया जा सकता है,--

- (i) किसी हमनी, संगम या ब्यट्ट निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम, या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या ब्यट्ट निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गए या उन या उन लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी पेंशन तथा अन्य मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ब" में विनिर्दिष्ट हैं।

- टीका लगवाना।
15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निदेश करे, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।
- राजनिष्ठा की शपथ।
16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
- ढील देने की शक्ति।
17. जहाँ, सरकार की राय, इन नियमों में किसी उपबन्ध में ढील देना प्रावश्यक या समीचीन हो, वहाँ वह कारण लिखकर, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
- विशेष उपबन्ध
18. इन नियमों किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लग सकता है।
- आरक्षण।
19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुमूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विवश वर्गों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :
परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- निरसन तथा व्यावृत्ति।
20. सेवा पर लागू कोई नियम या इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाते है :
परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	मूध्य सहायक (सांख्यिकीय) ..	1	..	1	1,600--50--2,300-द.रो. 60--2,660 रुपये
2	कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग विज्ञानिक	10	10	1,600--50--2,300 द. रो. 60--2,660 रुपये
3	सांख्यिकीय एवं जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ..	1	..	1	1,400--40--1,600--50-- 2,300--द. रो.--60--2,600 रुपये
4	सांख्यिकीय सहायक ..	9	63	72	1,400--40--1,600--50-- 2,300--द. रो.--60--2,600 रुपये
5	अन्वेषक	1	1,400--40--1,600--50-- 2,300--द. रो.--60--2,600 रुपये
6	मशीन परिचालक ..	1	..	1	1,400--40--1,600--50-- 2,300--द. रो.--60--2,600 रुपये
7	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता ..	1	3	4	1,400--40--1,600--50-- 2,300--द. रो.--60--2,600 रुपये
8	वरिष्ठ कम्प्यूटर ..	3	1	4	1,200--30--1,560-द. रो. --40--2,040 रुपये

1	2	3	4	5	6
9	संकलन लिपिक	1	..	1	1,200--30--1,500--द. रो. --40--2,040 रुपये
10	कम्प्यूटर	34	117	151	950--20--1,150--द. रो. --25--1,500 रुपये
11	सार्विक्रीय लिपिक	29	..	29	950--20--1,150--द. रो. 25--1,500 रुपये
12	पंच परिचालक	2	..	2	950--20--1,150--द. रो. 25--1,500 रुपये
13	वैरीफायर अप्रेंटिस	2	..	2	950--20--1,150--द. रो. 25--1,500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय में अर्थशास्त्र में या कृषि अर्थ शास्त्र या गणित या वाणिज्य या अप्रेशनल अनुसंधान या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री तथा पहले चार मामलों की दशा में सांख्यिकीय के एक पेपर सहित;	सांख्यिकीय एवं जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक या अन्वेषक या सांख्यिकीय सहायक या मशीन परिचालक या क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता में से किसी एक पद पर अथवा सभी को मिलाकर तीन वर्ष का अनुभव
2	कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग-वैज्ञानिक	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक तथा सांख्यिकीय में दो वर्ष का डिप्लोमा;	
3	सांख्यिकी तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	(ii) किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय एवं जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक या मशीन परिचालक या सांख्यिकीय सहायक या क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;	
4	सांख्यिकीय सहायक	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	
5	अन्वेषक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से अर्थ शास्त्र या कृषि अर्थ शास्त्र या गणित या वाणिज्य या अप्रेशनल अनुसंधान या अर्थ निति में स्नातकोत्तर डिग्री तथा पहले चार	वरिष्ठ कम्प्यूटर या संकलन लिपिक में से किसी एक पद पर अथवा इन पदों को मिलाकर एक वर्ष का अनुभव हो
6	मशीन परिचालक	की दशा में सांख्यिकीय के एक पेपर सहित;	
7	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक तथा	

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से शररथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
		सांख्यिकीय में दो वर्ष का डिप्लोमा :	
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी	
8	वरिष्ठ कम्प्यूटर	(i) अर्थ शास्त्र या कृषि अर्थ शास्त्र या गणित या सांख्यिकीय या वाणिज्य में सांख्यिकीय एक अनिवार्य विषय सहित स्नातक	कम्प्यूटर, पंच परिचालक, सांख्यिकीय लिपिक या वैरीफायर ऑपरेटर के पद पर अथवा इन सभी पदों को मिलाकर चार वर्ष का अनुभव
9	संकलन लिपिक	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	
10	कम्प्यूटर	(i) प्रथम श्रेणी में मैट्रिक/द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंड्री या इसके समतक/ स्नातक	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समतक स्नातक
11	पंच परिचालक		(ii) दसवीं तक हिन्दी की जानकारी
12	सांख्यिकीय लिपिक		(iii) वर्ग "ग" के किसी ऐसे पद पर जिसका वेतनमान कम्प्यूटर/सांख्यिकीय लिपिक/पंच परिचालक/ वैरीफायर परिचालक के वेतनमान से कम है अथवा वर्ग "घ" के किसी पद पर अथवा वर्ग "ग" और "घ" के पदों को मिलाकर 5 वर्ष का अनुभव ।
13	वैरीफायर परिचालक	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य सहायक सांख्यिकीय	महानिदेशक	1. छोटी शास्तियां :	महा निदेशक	सरकार
2	अवर सांख्यिकीय वैज्ञानिक		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;		
3	सांख्यिकीय और जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक		(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ;		
4	सांख्यिकीय सहायक		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसकी पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व विद्यालय को हुई घन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
5	अन्वेषक				
6	मशीन चालक				
7	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता				
8	वरिष्ठ कम्प्यूटर				
9	संकलन लिपिक				
10	कम्प्यूटर				
11	सांख्यिकीय निरीक्षक		(v) असंवरी प्रभाव से वेतन-वृद्धियां रोकना ;		

1	2	3	4	5	6
12	पंच आपरेटर	महा निदेशक	2. बड़ी शास्तियां :	महा निदेशक	सरकार
13	वैरीफायर आपरेटर		(vi) सचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन- वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन-वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्म- चारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;		

1	2	3	4	5
		(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
		(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[दिखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	(क) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	महानिदेशक	सरकार
2	अवर सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिक			
3	सांख्यिकीय एवं जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	(ख) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		
4	सांख्यिकीय सहायक			
5	अन्वेषक			
6	मशीन परिचालक			
7	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता			
8	वरिष्ठ कम्प्यूटर			
9	संकलन लिपिक			
10	कम्प्यूटर			
11	सांख्यिकीय लिपिक			
12	पंच आपरेटर			
13	बैरीफायर आपरेटर			

वीना इंगलटन,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The December 19, 1996

No. GSR 1/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department Statistical (Group C) Service, namely :—

PART—I GENERAL

1. (i) These rules may be called the Haryana Health Department Statistical (Group C) Service Rules, 1996. Short title and Commencement.
(ii) These rules will come into force with immediate effect.
2. In these rules, unless the context otherwise requires :— Definitions.
- (a) "Board" means the Subordinate Service Selection Board;
- (b) "Direct recruitment" means any appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (c) "Director General" means the Director General, Health Services, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- (e) "Institution" means,—
(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (f) "recognised University" means:—
(i) any University incorporated by law in India ; or
(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dhaka University ;
or
(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules; and
- (g) "Service" means the Haryana Health Department Statistical (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character of
posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidate
appointed to
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on or before the last date of submission of application to the Board.

Appointing
authority.

6. Appointment to the posts in the service shall be made by the Director General.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment :

Qualifications.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case of sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualifications.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

Method
of
recruitment.

- (a) in the case of Head Assistant (Statistics) and Junior Statistical Nosologist ;
 - (i) 75% by promotion from amongst Statistical and Vital Health Supervisors, Statistical Assistants, Investigators, Machine Operators or Field Evaluation Workers ; and
 - (ii) 25% by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (b) in case of Statistical and Vital Health Supervisors, Statistical Assistant, Investigator, Machine Operator and Field Evaluation Workers ;
 - (i) 75% by promotion from amongst senior computers or compilation Clerks ; and
 - (ii) 25% by direct recruitment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any state Government or the Government of India.

- (c) In case of Senior Computer and compilation Clerks,—
- (i) 75% by promotion from amongst Computers, Punch Operators, Verifier Operators or Statistical Clerks ; and
 - (ii) 25% by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India ;
- (d) in case of Computers, Statistical Clerks, Punch Operators and Verifier Operators,—
- (i) 80% by direct recruitment ; and
 - (ii) 20% by promotion, on seniority-cum-fitness basis, from amongst Group 'C' employees, either whose scale of pay is less than of a Computer/Statistical Clerk/Punch Operator/Verifier Operator or whose duties and responsibilities are lower than of a Computer/Statistical Clerk/Punch Operator/Verifier Operator or from amongst Group 'D' employees ; or
 - (iii) by transfer of an official already in the services of the Government of India or any State Government.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that —

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the option of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise, than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or

- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
- (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
- (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, or if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of the Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the elder member shall be senior to the younger member.

Liability to
serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under ;—

- (i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, or an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or a body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension
and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties
and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order. Vaccination.
16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.
17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.
18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so. Special provision.
19. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time : Reservations.
- Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.
20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed : Repeat and savings.
- Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of post.	Number of posts			Scale of Pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Head Assistant (Statistics)	1	—	1	Rs. 1,600—50—2,300—EB—60— 2,660
2	Junior Statistical Nosologist	—	10	10	Rs. 1,650—50—2,300—EB— 60—2,660
3	Statistical and Vital Health Supervisor	1	—	1	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600
4	Statistical Assistant	9	63	72	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600.
5	Investigator	—	1	1	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600
6	Machine Operator	1	—	1	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600
7	Field Evaluation Worker	1	3	4	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600
8	Senior Computer	3	1	4	Rs. 1,200—30—1,560—EB—40— 2,040
9	Compilation Clerk	1	—	1	Rs. 1,200—30—1,560—EB—40— 2,040
10	Computer	34	117	151	Rs. 950—20—1,150—EB—25— 1,500
11	Statistical Clerk	29	—	29	Rs. 950—20—1,150—EB—25— 1,500
12	Punch Operator	2	—	2	Rs. 950—20—1,150—EB—25— 1,500
13	Verifier Operator	2	—	2	Rs. 950—20—1,150—EB—25— 1,500—

APPENDIX B

(See Rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Head Assistant (Statistics)	(i) Master degree from a recognised University in Economics or Agricultural Economics or	Three years experience on the post of Statistical and Vital Health Supervisor/Investigator, Statistical Assistant, Machine Operator or
2	Junior Statistical/ Nosologist	Mathematics or Commerce or Operation Research or Econometrics with Statistics as one of the papers in case of first four ; OR Second Division Graduate with two years diploma in Statistics from a recognised University ;	Field Evaluation Worker, on one post or combined posts.
		(ii) Two years experience as Statistical and Vital Health Supervisor or Investigator or Machine Operator or Statistical Assistant or Field Evaluation Worker in any Government Department ;	
		(iii) Hindi upto Matric Standard.	
3	Statistical and Vital Health Supervisor	(i) Master degree from a recognised University in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or commerce with Statistics or Operation research or Econometrics with	One year experience on the post of Senior computer or Compilation Clerk or combined posts.
4	Statistical Assistant		

1	2	3	4
5	Investigator	Statistics as one of papers in case of first four ; OR Second Division Graduate with two years Diploma in Statistics from a recognis- ed University ; (ii) Hindi upto Matric Standard.	
6	Machine Operator		
7	Field Evaluation Worker		
8	Senior Computer	(i) Graduate with Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Statistics or Commerce as one of the elective subjects. (ii) Hindi upto Matric standard	Four years experience on the post of computer of Punch Operator or Verifier Operator or Statistical Clerk on one post or combined posts.
9	Compilation Clerk		
10	Computer	(i) Matric 1st Division/ Haryana Secondary Hindi Division or its equiva- lent/Graduate. (ii) Hindi upto Matric standard.	(i) Hindi upto Matric Standard.
11	Statistical Clerk		(iii) Five years experience on any Group 'C' posts either whose scale of pay is less than than of a computer, Statistical Clerk, Punch Operator or or Verifier Operator or any Group 'D' or combined ex- perience on Group 'C' and Group 'D' posts.
12	Punch Operator		
13	Verifier Operator		

APPENDIX C

[See Rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1	Head Assistant (Statistics)	Director General	1. Minor penalties:	Director General	Government
2	Junior Statistical/ Nosologist		(i) Warning with a copy in the personal file (character role);		
3	Statistical and Vital Health Supervisor		(ii) Censure ;		
4	Statistical Assistant		(iii) withholding of promotion;		
5	Investigator		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
6	Machine Operator				
7	Field Evaluation Worker				
8	Senior Computer				
9	Compilation Clerk				
10	Computer				
11	Statistical Clerk				
12	Punch Operator				
13	Verifier Operator		(v) withholding of increment of pay without commulative effect;		
			2. Major Penalties :	Director General	Government
			(vi) withholding of increment of pay with commulative effect ;		

1

2

3

4

5

6

-
- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;
- (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced, and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;
- (ix) compulsory retirement;
- (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
- (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.
-

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Head Assistant (Statistics)	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Director General	Government
2	Junior Statistical Nosologist	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
3	Statistical and Vital Health Supervisor			
4	Statistical Assistant			
5	Investigator			
6	Machine Operator			
7	Field Evaluation Worker			
8	Senior Computer			
9	Compilation Clerk			
10	Computer			
11	Statistical Clerk			
12	Punch Operator			
13	Verifier Operator			

VEENA EGALTON,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.



भाग III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2006

संख्या सा०का० नि० 5/संवि०/अनु० 309/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (गुप ग) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (गुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सांख्यिकीय (गुप ग) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (I) में,

(i) खण्ड (ख) में, विद्यमान उप-खण्ड (I) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(I) 75 प्रतिशत कम्प्यूटर, सांख्यिकीय लिपिक, पंच परिचालक तथा वैरीफायर परिचालक में से पदोन्नति द्वारा; तथा;” तथा

खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

**“परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)**

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	1	-	1	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिक	-	10	10	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
3.	सांख्यिकीय एवं जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	1	-	1	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
4.	सांख्यिकीय सहायक	9	63	72	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये

1	2	3	4	5	6
5.	अन्वेषक	-	1	1	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
6.	मशीन परिचालक	1	-	1	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
7.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	1	3	4	5450-150-6950-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
8.	कम्प्यूटर	34	117	151	3050-75-3950-दक्षतारोध-80-4590 रुपये
9.	सांख्यिकीय लिपिक	29	-	29	3050-75-3950-दक्षतारोध-80-4590 रुपये
10.	पंच परिचालक	2	-	2	3050-75-3950-दक्षतारोध-80-4590 रुपये
11.	वैरीफायर परिचालक	2	-	2	3050-75-3950-दक्षतारोध-80-4590 रुपये

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या आप्रेशन अनुसंधान या अर्थनीति में स्नातकोत्तर डिग्री तथा पहले चार मामलों की दशा में सांख्यिकीय के एक पेपर सहित;	सांख्यिकीय तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सांख्यिकीय सहायक, अन्वेषक, मशीन परिचालक या क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता में से किसी एक पद पर अथवा सभी को मिलाकर तीन वर्ष का अनुभव।
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिक	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकीय में दो वर्ष के डिप्लोमा सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक	
		(ii) किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक या अन्वेषक या मशीन परिचालक या सांख्यिकीय सहायक या क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव;	
		(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा;	
		(iv) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी।	
3.	सांख्यिकीय तथा जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या आप्रेशन अनुसंधान या अर्थनीति में स्नातकोत्तर डिग्री तथा पहले चार मामलों की दशा में सांख्यिकीय के एक पेपर सहित;	कम्प्यूटर, सांख्यिकीय लिपिक, पंच परिचालक या वैरीफायर परिचालक में से किसी एक पद पर अथवा सभी को मिलाकर दस वर्ष का अनुभव हो।
4.	सांख्यिकीय सहायक		
5.	अन्वेषक	अथवा	
6.	मशीन परिचालक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकीय में दो वर्ष के डिप्लोमा सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक;	
7.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता		

1	2	3	4
		(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा;	
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी।	
8. कम्प्यूटर	}	(i) प्रथम श्रेणी में मैट्रिक/द्वितीय श्रेणी में हायर सैकेंडरी या इसके समकक्ष/स्नातक;	(i) दसवीं/हायर सैकेंडरी अथवा इसके समकक्ष/स्नातक
9. पंच परिचालक		(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा;	(ii) दसवीं तक हिन्दी।
10. सांख्यिकीय लिपिक		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी।	(iii) वर्ग 'ग' के किसी ऐसे पद पर जिसका वेतनमान कम्प्यूटर, सांख्यिकीय लिपिक, पंच परिचालक या वैरीफायर परिचालक के वेतनमान से कम है अथवा वर्ग 'घ' के किसी पद पर अथवा वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों को मिलाकर पांच वर्ष का अनुभव।
11. वैरीफायर परिचालक			

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्त प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	महानिदेशक	1. छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	महानिदेशक	सरकार
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय वैज्ञानिक				
3.	सांख्यिकीय और जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक				
4.	सांख्यिकीय सहायक				
5.	अन्वेषक				
6.	मशीन परिचालक				
7.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता				
8.	कम्प्यूटर				
9.	सांख्यिकीय लिपिक				
10.	पंच परिचालक				
11.	वैरीफायर परिचालक				
			2. बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी		

1	2	3	4	5	6
			भावी वेतन-वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं।		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ [देखिए नियम 14(2)]				
क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	मुख्य सहायक (सांख्यिकीय)	(क) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ख) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	महानिदेशक	सरकार
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिक			
3.	सांख्यिकीय और जीव स्वास्थ्य पर्यवेक्षक			
4.	सांख्यिकीय सहायक			
5.	अन्वेषक			
6.	मशीन परिचालक			
7.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता			
8.	कम्प्यूटर			
9.	सांख्यिकीय लिपिक			
10.	पंच परिचालक			
11.	वैरीफायर परिचालक			

उर्वशी गुलाटी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**HEALTH DEPARTMENT****Notification**

The 5th May, 2006

No. G. S. R. 5/Const./Art. 309/2006.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Statistical (Group C) Services Rules, 1996, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Health Department Statistical (Group C) Service (Amendment) Rules, 2006.

2. In the Haryana Health Department Statistical (Group C) Service Rules 1996, (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (I),—

(i) in clause (b), for the existing sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(i) 75% by promotion from amongst Computers, Statistical Clerk, Punch Operator and Verifier Operator; and”; and

(ii) clause (c) shall be omitted.

3. In the said rules, for Appendices A, B, C and D the following Appendices shall be substituted, namely :—

“Appendix A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Head Assistant (Statistics)	1	—	1	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850
2.	Junior Statistical Nosologist	—	10	10	Rs. 5450-150-9950-Efficiency Bar-150-7850
3.	Statistical and Vital Health Supervisor	1	—	1	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850
4.	Statistical Assistant	9	63	72	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850

1	2	3	4	5	6
5.	Investigator	-	1	1	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850
6.	Machine Operator	1	-	1	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850
7.	Field Evaluation Worker	1	3	4	Rs. 5450-150-6950-Efficiency Bar-150-7850
8.	Computer	34	117	151	Rs. 3050-75-3950-Efficiency Bar-80-4590
9.	Statistical Clerk	29	-	29	Rs. 3050-75-3950-Efficiency Bar-80-4590
10.	Punch Operator	2	-	2	Rs. 3050-75-3950-Efficiency Bar-80-4590
11.	Verifier Operator	2	-	2	Rs. 3050-75-3950-Efficiency Bar-80-4590

Appendix B
(See Rule 7)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Head Assistant (Statistics)	(i) Master degree from a recognized University in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce or Operation Research or Econometrics with Statistics as one of the papers in case of first four; OR Second Division Graduate with two years diploma in Statistics from a recognized University;	Three years experience on the post of Statistical and Vital Health Supervisor, Statistical Assistant, Investigator, Machine Operator or Field Evaluation Worker on one post or combined posts.
2.	Junior Statistical Nosologist		
		(ii) Two years experience as Statistical and Vital Health Supervisor or Investigator or Machine Operator or Statistical Assistant or Field Evaluation Worker in any Government Department; (iii) One year Diploma in Computer Application from a recognized University/Institution; (iv) Hindi upto Matric Standard.	
3.	Statistical and Vital Health Supervisor	(i) Master degree from a recognized University in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce with Statistics or Operation Research or Econometrics with Statistics as one of paper in case of first four; OR Second Division Graduate with two years Diploma in Statistics from a recognized University;	Ten years experience on the post of Computer, Statistical Clerk, Punch Operator or Verifier Operator on one post or combined posts.
4.	Statistical Assistant		
5.	Investigator		
6.	Machine Operator		
7.	Field Evaluation Worker		

1	2	3	4
8. Computer 9. Statistical Clerk 10. Punch Operator 11. Verifier Operator	}	(ii) One year Diploma in Computer Application from a recognized University/Institution; (iii) Hindi upto Matric Standard. (i) Matric First Division/Higher Secondary Second Division or its equivalent/Graduate; (ii) One year Diploma in Computer Application from a recognized University/Institution; (iii) Hindi upto Matric Standard.	(i) Matric / Higher Secondary or its equivalent/Graduate; (ii) Hindi upto Matric; (iii) Five years experience on any Group 'C' posts either whose scale of pay is less than that of a Computer, Statistical Clerk, Punch Operator or Verifier Operator or any Group 'D' post or combined experience on Group 'C' and Group 'D' posts.

Appendix C
[See Rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Head Assistant (Statistics)	Director General	1. Minor penalties (i) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding of increment of pay without commulative effect;	Director General	Government
2.	Junior Statistical Nosologist				
3.	Statistical and Vital Health Supervisor				
4.	Statistical Assistant				
5.	Investigator				
6.	Machine Operator				
7.	Field Evaluation Worker				
8.	Computer				
9.	Statistical Clerk				
10.	Punch Operator				
11.	Verifier Operator				
			2. Major Penalties (vi) withholding of increment of pay without commulative effect; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not		

1	2	3	4	5	6
			<p>the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;</p>		
			<p>(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced, and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;</p>		
			<p>(ix) compulsory retirement;</p>		
			<p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;</p>		
			<p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.</p>		

Appendix D
[See Rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1	Head Assistant (Statistics)	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Director General	Government
2	Junior Statistical Nosologist			
3	Statistical and Vital Health Supervisor	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation;"		
4	Statistical Assistant			
5	Investigator			
6	Machine Operator			
7	Field Evaluation Worker			
8	Computer			
9	Statistical Clerk			
10	Punch Operator			
11	Verifier Operator			

URVASHI GULATI,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Health Department.